न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2155–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–3–2015 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 241/अपील/2011–12.

शंकरलाल आ0 स्व. भैयालाल
निवासी ग्राम मुरली
तहसील गैरतगंज जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

1– रामचरण आ0 स्व. भैयालाल
2– रामवीर आ0 नारायणसिंह
3– मुकेश आ0 नारायणसिंह
निवासी ग्राम मुरली
तहसील गैरतगंज जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0एस0 हैदर, अभिभाषक, अनावेदक क. 2 एवं 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/5/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा नायब तहसीलदार, गैरतगंज के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मुरली स्थित भूमि कुल किता 7 रकबा 6.775 हेक्टेयर उसके नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । वह अपने पुत्र के पुत्र अर्थात नाती अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के नाम 1/2 हिस्से का नामांतरण कराना चाहता है । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 74/अ–27/10–11 को दर्ज कर दिनांक 22–6–2011 को बटवारा स्वीकृत करते हुए

राजस्व अभिलेख दुरूस्त करने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–4–2012 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण हिस्सानामा दिनांक 14–10–2010 के अनुसार बटवारा करने हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 23–3–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखते हुए अपील स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :–

(1) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 22–6–2011 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी । तहसील न्यायालय के आदेश में सर्वे कमांक 123/1 एवं 124/1 रकबा 5.16 एकड़ भूमि सम्मिलित नहीं थी, क्योंकि उक्त भूमि पूर्व से ही राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज थी, परन्तु आयुक्त द्वारा उक्त भूमियों का आदेश में उल्लेख करते हुए त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है कि ग्राम मुरली प.ह.नं. 9 तहसील गैरतगंज स्थित भूमि कुल किता 7 रकबा 16.77 एकड़ एवं खसरा कमांक 123/1 व 124/1 रकबा 5.16 एकड़ अनावेदक कमांक 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, क्योंकि अनावेदकगण द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त भूमि अनावेदक कमांक 1 के नाम दर्ज रही हो । अनावेदकगण का यह कहना त्रुटिपूर्ण है कि आवेदक की ओर से अपर सत्र न्यायाधीश बेगमगंज के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आवेदक के विरूद्ध डिकी पारित हुई है, क्योंकि इस प्रकार की कोई डिकी अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था, अर्थात अंतरिम स्वरूप का आदेश पारित किया गया था, जिसके विरूद्ध आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रचलन

योग्य नहीं थी, क्योंकि अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है, और संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी सुनने का अधिकार राजस्व मण्डल को है।

(3) प्रश्नाधीन भूमि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के पिता भैयालाल द्वारा अपने जीवनकाल में कय की गई थी, और चूंकि अनावेदक कमांक 1 बालिग, और आवेदक नाबालिग था, इसलिए अनावेदक कमांक 1 के नाम भूमि कय की गई है ।

(4) आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के मध्य दिनांक 14--10--2010 को पारिवारिक बटवारानामा निष्पादित हुआ था, जिसे तहसील न्यायालय में भी प्रस्तुत किया गया है, अतः उक्त बटवारानामा के आधार पर कार्यवाही कर आदेश पारित करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई थी, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

उनके द्वारा आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए :--

(1) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 1 द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है, और उसमें आवेदक का कोई हिस्सा नहीं है ।

(2) आवेदक का यह कहना कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पूर्व में बटवारा हो चुका है, विश्वसनीय नहीं है । इसके अतिरिक्त रजिस्ट्री एक्ट की धारा 50 के अंतर्गत पंजीकृत दस्तावेज के मुकाबले अपंजीकृत दस्तावेज की कोई अहमियत नहीं है ।

(2) आवेदक द्वारा यह कहा जा रहा है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें वह असफल रहा है, मान्य योग्य नहीं है, क्योंकि आवेदक द्वारा जो तथ्य बताये जा रहे हैं, वह अपंजीकृत दस्तावेज पर आधारित हैं ।

(3) आवेदक का यदि प्रश्नाधीन भूमि पर कोई हित था, तब वे व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते थे ।

उनके द्वारा आयुक्त का आदेश निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरसत किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, और आयुक्त द्वारा अपील में आदेश पारित किया गया है, जबकि प्रत्यावर्तन आदेश अंतरिम स्वरूप का आदेश होता है, और अंतरिम स्वरूप के आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रतिबंधित होकर संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है । इस प्रकार आयुक्त द्वारा अपील में आदेश पारित करने में संहिता के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित कर आवेदक का 1/2 हिस्सा निर्धारित कर दिया गया है, अतः तहसीलदार द्वारा गुण–दोष पर विभाजन करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करना समझ से परे है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इसी प्रकार तहसीलदार द्वारा भी संहिता की धारा 178 के अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुरूप कार्यवाही कर आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए उनका आदेश भी निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप बटवारा आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–3–2015, अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–4–2012 एवं नायब तहसीलदार, गैरतगंज द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–6–2011 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर